न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 215/2016

पदमदास चेला छोटूदास जाति स्वाम निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

वादी

बनाम

1. हुक्मदास चेला छोटूदास
2. बजरंगदास चेला छोटूदास
3. विनोद पुत्र भगवाना जाति स्वामी निवासीगण भरवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी ठिकरिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. श्रीमती संतोष कंवर पत्नी विनोदसिंह जाति स्वामी तथाकथित जाति रावणा राजपूत निवासी भरवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

प्रतिवादीगण

दावा– घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व
स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक 15–03–2021

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमीन पुराने खसरा नम्बर 244 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा पुराने खसरा नम्बर 246 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा, पुराने खसरा नम्बर 247 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम भरवाडी की सरहद में स्थित है। ग्राम भरवाड़ी की तहसील पहले उदयपुरवाटी थी, बाद में नवलगढ तहसील बन जाने से ग्राम भरवाडी तहसील नवलगढ़ आ गई।

उदयरामदास दादूपंथी स्वामी था, जिसके वारिसान भी दांदूपंथी है छोटूदास ने शादी कर ली थी, जिसके तीन पुत्र पैदा हुई, छोटूदास ने अपने जीवनकाल मे ही अपने हक हकूक, कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन का बंटवारा अपने तीनों पुत्रों को एवं दोयता विनोद को कर दिया था। छोटूराम की एक पुत्री केशरी की मृत्यू हो गई थी, जिसके कारण उसे उसके पुत्र प्रतिवादी नम्बर 3 विनोद को छोटूदास अपने पास ले आया एवं उसे अपने पास रखा। दादूपंथ में उत्तराधिकार की अलग व्यवस्था है लेकिन छोटूदास ने अपने हक हकूक कब्जे, काश्त की कृषि भूमि को तीनों पुत्रों व दोयता को 1988 में संभला दी थी, उसी प्रकार अलग–अलग सभी काश्त करते है, काबिज है, लगान अदा करते आ रहे है व राजस्व रिकार्ड की उसी प्रकार अलग–अलग सभी के नाम दर्ज है तथा अपने–अपने नाम राजस्व रिकार्ड की जमीन में सभी में अपने अपने पुख्ता मकान बना रखे है, कुंआ बना रखे है व विधुत कनेक्शन आदि की सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है मोके पर कोई विवाद नही है, सभी का बाकायदा भौतिक रूप से कब्जा 1988 से लगातार शांति

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वक बिना किसी बाधा के चला आ रहा है तथा लगान भी सभी स्वयं 1988 से अदा कर रहे है। इस प्रकार मौजूदा राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा सही है, रिकार्ड भी सभी के नाम से ही है।

जमीन खसरा नम्बर नये 336/1.72, 338/0.81, 339/0.76 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.29 हैक्टर में छोटूदास का आधा हिस्सा था, जिसके अनुसार छोटूदास ने 1.65 हैक्टर जमीन अपने दोहिते प्रतिवादी नम्बर 3 विनोद को दे दी थी, जिसमें वादी व प्रतिवदी नम्बर 1 व 2 को कोई ऐतराज भी नही रहा है। प्रतिवादी नम्बर 3 चालाक व्यक्ति है, जिसने छोटूदास द्वारा उसे दी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाली, जिसमें भी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को कोई ऐतराज नही रहा है क्योकि जब जमीन दे दी तो उसके नाम रिकार्ड करवाने हेतु विक्रय–पत्र करवाया था, जबकि विक्रय के एवज में कोई प्रतिफल प्राप्त नही किया था, प्रतिफल बाबत रजिस्ट्री में औपचारिकता पूरी करने के लिये गलत ही लिखा गया था, अब प्रतिवादी नम्बर 3 की नाजायज हरकतों से पता चलता है कि प्रतिवादी नम्बर 3 के शुरू से ही बेईमानी थी, जबकि वादी के कोई बेईमानी नही थी, वह तो अपने भानजे प्रतिवादी नम्बर 3 के साथ सहानुभूति रखता था।

इसी प्रकार जमीन पुराने खसरा नम्बर 244 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा वादी को छोटूराम ने 1988 में संभला दी थी तब से ही वादी इस जमीन को काश्त कर रहा है, काबिज है, लगान अदा करता आ रहा है तथा इस जमीन में वादी ने अपने खर्चे से कुआ बनाया है, जिसमें वादी ने अपने नाम से विधुत कनेक्शन भी ले रखा है, जिससे वादी अपने हक हकूक, कब्जे काश्त व खातेदारी तथा लगान की जमीन की सिंचाई करता है। वादी ने इस जमीन मे पुख्ता मकान अपने खर्चे से बनाये है, जिसमें वादी अपने बाल बच्चों व मवेशियों समेत रहता है। वादी के हक, कब्जे, खातेदारी की जमीन के उतर तरफ सड़क बन गई है, जिसके कारण जमीन कीमती हो गई, इसलिये प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 नाजायज बदमाशी पर उतारू हो रहे है। वादी के हक की जमीन को हड़पना चाहते है व कानूनन व तथ्यों के विपरीत जाकर गैर कानूनी रूप से वादी की जमीन पर कब्जा करना चाहते है। वादी ने अपने हक की जमीन की सीमा पर मिट्टी का डोला 1988 मे ही लगा लिया था, सीमा में कुंचे 1988 में लगाये थे, जो मौजूद है। इस प्रकार वादी ने 1988 से लेकर आज दिन तक लगातार अपने हक के खेत खसरा नम्बर पुराने 244 जिसके नये खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर ग्राम भरवाडी का काफी खर्चा लगाकर सुधार करके जमीन को उपजाऊ बनाई है।

जमीन खसरा नम्बर पुराने 246 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 2 का हक रखा था, लेकिन चूंकि प्रतिवादी नम्बर 2 बेईमानी रखता था, इसलिये अपने हक में लाई जमीन का विक्रय पत्र तथाकथित रूप से रिकार्ड अपने नाम करवाने हेतु छोटूदास से करवाया था, जिसमें विक्रय की रकम नही दी गई थी, केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए प्रतिफल देना गलत लिया था, चूंकि रिकार्ड अपने नाम करने का बहाना बनाकर प्रतिवादी नम्बर 2 ने तथाकथित विक्रय–पत्र करवाया था, जिसमें आपसी विश्वास के कारण एतराज नही किया था, जिससे नये खसरा नम्बर 334 व अन्य बने है।

जमीन पुराने खसरा नम्बर 247 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 1 हुक्मदास को छोटूदास ने 1988 में संभला दी थी, जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा है व राजस्व रिकार्ड उसके नाम है। यह जमीन छोटूदास पुत्र चन्द्रदास चेला उदयरामदास के हक, कब्जे काश्त की थी, जिस पर चन्द्रदास की मृत्यू के बाद छोटूदास को हक हकूक, कब्जा काश्त व खातेदारी रही है जिसका लगान भी छोटूदास ही अदा करता रहा है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया था, जिसको आपसी विश्वास के कारण यथावत रहने दिया था तथा 1988 में यह जमीन छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 1 को संभला दी थी, जिसके नये खसरा नम्बर 335 बने है।

ए. टी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार वादी खसरा नम्बर पुराने 244 नये खसरा नम्बर 340 का रिकार्डेड खातेदार काबिज है, उपयोग–उपभोग कर रहा है अन्य किसी का इस जमीन में कोई सरोकार नही है। इस जमीन का रिकार्ड छोटूदास के नाम ही दर्ज चला आ रहा था, क्योकिं वादी भोला–भाला नेक इन्सान है, छोटूदास की जीवन पर्यन्त सेवा करता रहा था, वादी को अपने भाई प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 तथा भानजा प्रतिवादी नम्बर 3 पर पुरा विश्वास था, आपसी प्रेम भी वादी का सभी से अच्छा रहा, इस कारण वादी ने अपने हक की जमीन का रिकार्ड अन्य हिस्सेदारो की तरह छोटूदास से अपने नाम नहीं करवया तथा वादी के हक की जमीन का रिकार्ड छोटूदास के नाम ही चलता रहा तथा छोटूदास की मृत्यू के बाद नामान्तकरण नम्बर 194 दिनांक 7.12.2001 वादी के नाम तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड वादी के नाम बन गया जो तथ्य व कानून के अनुसार एवं हक तथा खातेदार छोटूदास द्वारा संभलाई गई जमीन के अनुसार सही बना है, जिसके विरूद्ध अब प्रतिवादी नम्बर 2 ने एतराज उठा रख है जबकि प्रतिवादी नम्बर 2 को एतराज उठाने का कानूनी व तथ्यात्मक रूप से कोई अधिकार नही लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 ने मिली भगत कर रखी है, तथा नाजायज रूप से वादी की उसके हक से वंचित करना चाहते है, क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 2 ने बेईमानी व धोखा देकर तथा विश्वास दिलाकर छोटूदास से अपने हिस्से में आई जमीन की गलत तथ्य अंकित करके विक्रय–पत्र तस्दीक करवा लिया, जिसके काराण उसके नाम छोटूदास के जीवनकाल में ही उसके पांति मे आई जमीन दर्ज हो गई, उसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से अब वादी के हक की जमीन पर आक्रमण किया है, इसलिये अगर मुनासिब होगा तथा प्रतिवादी नम्बर 2 की नियत में सुधार नही होगा तो तथाकथित विक्रय–पत्र दिनांक 24.12.1988 को निरस्त करवाने की कानूनी चाराजोही की जावेगी, प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमीन पुराने खसरा नम्बर 247 का रिकार्ड गलत बनाया है, जबकि यह जमीन छोटूदास की हक, कब्जे की है, इसलिये इस गलत रिकार्ड के विरूद्ध भी कानूनी चाराजोही वादी को मजबूरन करनी पड़ेगी, अगर प्रतिवादी नम्बर 1 की नियत सही नही होगी तो। अन्यथा वास्तविकता यह है कि जमीन पुराने खसरा नम्बर 247 प्रतिवादी नम्बर 1 को छोटूदास ने पांति में दी थी, जिसका रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम आ गया है, जमीन खसरा नम्बर 246 प्रतिवादी नम्बर 2 को छोटूराम ने पांति में दी थी, उसका रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम आ गया है तथा जमीन खसरा नम्बर पुराने 244 वादी को छोटूदास ने पांति में दी थी, जिसका रिकार्ड वादी के नाम आ गया है, इसी प्रकार घोषणा करके दुरूस्ती करवाने हेतू दावा पेश किया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 3 वादी से दुश्मनी रखता है तथा वादी गरीब असहाय अनपढ़ भोले भाले व्यक्ति को परेशान करवा रहा है, प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 ने नाजायज रूप से गिरोह बनाकर षंडयंत्र रचकर श्रीमान के कोर्ट में एक अपील नामान्तकरण के विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 2 से करवाई जिसमे नामान्तरकरण खारीज करके रिमाण्ड कर दिया जो प्रतिवादी नम्बर 6 के कोर्ट में चल रहा है, नामान्तकरण कानूनन व तथ्यात्मक रूप से सही भरा गया था, जिसके द्वारा वादी के नाम उसके हक की जमीन दर्ज हो गई है वह सही है, लेकिन चूंकि नामान्तकरण से कोई हक तैय नही होते है, केवल लगान की व्यवस्था व रिकार्ड अपडेट रखने हेतु नामान्तकरण भरा जाता है, इसलिए वादी अपने हकों की घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड हेतु यह दावा पेश कर रहा है।

वादी जमीन पुराने खसरा नम्बर 244 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा ग्राम भरवाडी का खातेदार काश्तकार है, काबिज है, लगान अदा कर रहा है, वादी को यह जमीन 1988 में मिली थी, तब से लेकर अब तक लगातार शांतिपूर्वक, बिना किसी बाधा के वादी काबिज खातेदार के रूप में चल रहा है, जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 भी 1988 से सहमत रहे है। इस तरह वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का कानूनन व तथ्यात्मक रूप से अधिकारी है।

पुराने खसरा नम्बर 244 की जमीन वादी की पांति में आई हुई है, इसी कारण वादी 1988 से काबिज चला आ रहा है, इसी कारण वादी के नाम नामान्तकरण तस्दीक हुआ था, इसी कारण वादी ने

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

अपने खर्चे से इस जमीन में कुआ बनाकर विधुत कनेक्शन लिया था, इसी कारण वादी ने इस जमीन में पुख्ता मकान अपने खर्चे से बनाये है, इस प्रकार वादी इस जमीन का उपयोग–उपभोग 1988 से कर रहा है, इस 19 वर्षो के दायरे में किसी ने कोई एतेराज रिकार्ड बावत कब्जे काश्त बावत उपयोग–उपभोग बावत आवास करने बावत आदि कुछ भी नही किया, इसलिए भी वादी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का जमीन खसरा नम्बर पुराने 244 से कोई सरोकार नही है, 1988 के बाद इस जमीन पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का कब्जा कभी नही नही रहा, रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम नही रहा, जमीन सड़क के कारण कीमती हो गई तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की नियत खराब हो गई, इस कारण से अब वादी की जमीन हड़पने के लिए प्रतिवादी नम्बर 1व 2 नाजाजय कार्यवाही कर रहे है, जिन्हे रोका जाना निहायत आवश्यक है, इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पावन्द किया जावे कि मौका व रिकार्ड की यथारिथति यथावत बनाये रखे, अन्यथा वादी की सख्त हक तलफी होगी, वादी बेघर हो जावेगा।

स्वर्गीय छोटूदास के कुल 14.11 हैक्टर जमीन थी, जिसमें से 1.65 हैक्टर जमीन छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 3 को दोयता होने के कारणा दी थी, जिनका विक्रय पत्र बेईमानी पूर्वक मुगालता देकर, विश्वास में लेकर, बिना प्रतिफल के दिनांक 8.08.1990 को करवाया वह कानूनन व तथ्यात्मक रूप से निरस्त होने योग्य है।

छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 1 को 4.85 हैक्टर जमीन पांति में दी थी, जिसका रिकार्ड राजस्व कर्मियों द्वारा बिना क्षैत्राधिकार, विरूद्ध कानून व तथ्यों के तथा खातेदार छोटूदास के होने के बावजूद प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज गलत रूप से कर दिया था, जिसके कारण पश्चातवर्ती समस्त रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम गलत चलता आ रहा है, जो कानूनन व तथ्यात्मक रूप से निरस्त होने योग्य है।

छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 2 को 3.87 हैक्टर जमीन पांति मे दी थी, जिसकी रजिस्ट्री बिना प्रतिफल के, मुगालता देकर, विश्वास में लकर, बेईमानी पूर्वक दिनांक 24.12.1988 को प्रतिवादी नम्बर 02 ने करवाई वह कानूनन व तथ्यात्मक रूप से निरस्त होने योग्य है।

प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के मन मे शुरू से ही बेईमानी थी, जिसके कारण छोटूदास से गैर कानूनी विक्रय पत्र करवाके रिकार्ड अपने नाम गैर कानूनी करवा लिया, लेकिन इस गैर कानूनी कार्यवाही से डरते हुये प्रतिवादी नम्बर 2 ने प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम पुनः एक गैर कानूनी विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के, दिखावटी रूप से व पहले की गलत कार्यवाही से बचने के लिये व फायदा नाजायज उठाने के लिये दिनांक 14.14.2005 को करवाया है वह भी पूर्व की नाजायज कार्यवाही के कारण पश्चातवर्ती कार्यवाही स्वतः ही नाजायज होने के कारण निरस्त होने योग्य है। इसी तरह प्रतिवादी नम्बर 3 ने गैर कानूनी रूप से दिनांक 8.8.1990 के विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त की गई जमीन का पुनः नाजायज विक्रय–पत्र दिनांक 21.11.05 को प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम करवाया है, जिसमे अपना परिचय भी छुपाया गया है। इन सभी कार्यवाहियों से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की नाजायज कार्यवाही स्पष्ट से वादी को परेशान करने व वादी के हक की जमीन हड़पने के लिये जानबूझकर की गई है, इसलिये वादी अपने हक की रक्षार्थ यह दावा पेश कर रह है।

खसरा नम्बर 196 रकबा 0.26 हैक्टर ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की जमीन भी छोटूदास की रही है, जो रकबे मे कम है इसलिये इसका हकदार वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 शामिल में है, इसमें कोई विवाद नही है। वादी शांति प्रिय व्यक्ति है, प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3 होशियार व गर्म स्वभाव के तथा प्रभावशाली

... ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

काबिज है, प्रतिवादी नम्बर 3 पंचायत का मालिक है, जो ऐनकेन प्रकरण वादी के हक की जमीन अपने नाम दर्ज करवाके कब्जा जबरदस्ती करने की फिराक मे है, जिन्हे रोका जाना जरूरी है।

छोटूदास के हक की जमीन पर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 का कब्जा है तथा तथाकथित रूप से काबिज व रिकार्ड बना रखा है, इसलिए इन्हे भी पक्षकार बनाया है, जिससे सही स्थिति श्रीमानजी के सामने आ सके। प्रतिवादी नम्बर 6 तहसीलदार है जो लैण्ड होल्डर है, रिकार्ड में कोई फेरबदल नहीं करे, प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की नाजायज मदद नही करे, वादी का अपने हक की जमीन पुराने खसरा नम्बर 244 नये खसरा नम्बर 340 से बेदखल नही करे, रिकार्ड यथावत रहने दे अदि से पाबन्द करवाने हेतु पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 6 लोक सेवक है, जिसे दावा मे से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस आवश्यक हे लेकिन चूंकि दावा आवश्यक प्रकृति का है, इसलिए अलग से धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र बिना नोटिस के दावा पेश करने की इजाजत हेतु पेश है।

बिनाय मुखास्मत दावा न्यायालय के क्षैत्राधिकार में तब पैदा हुआ तब प्रतिवादी नम्बर 1 लबायत 3 ने वादी को दिनांक 14.08.2007 को धमकी दी कि 16.08.2007 को तहसीलदार से हमारे नाम खसरा नम्बर 340 की जमीन दर्ज करवा लेने व वादी को बलपूर्वक बेदखल करेगें के रोज न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे पैदा हुआ। वादग्रस्त जमीन व फरीकेन दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से यह दावा इस अदालत को सुनने का व निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जमीन कृषि भूमि है, जिसके बाबत घोषणा का दावा है।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि दावा डिक्री फरमाया जावे घोषणा यह की की जावे कि वादी जमीन खसरा नम्बर पुराने 244 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर ग्राम भरवाड़ी का खातेदार काश्तकार है, राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती इसी प्रकार करने हेतु प्रतिवादी नम्बर 6 को आदेश दिया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादी को खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर जमीन ग्राम भरवाडी को काश्त करने, काबिज रहने, उपयोग–उपभोग करने आदि में न तो प्रतिवादीगण बाधा पहुंचाये एवं न अन्य किसी से बाधा पंहुचाने की कोशिश करे, अन्यथ सिद्धि जो वादी के हक में हो चाही जाने से रह गई हो वह भी दिलाई जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे, मौका व राजस्व रिकार्ड की आज की स्थिति के बाबत यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री चन्द्रकांत शर्मा उपस्थित आये। तथा प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से राज. पैरोकार उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की धारा एक का जवाब है कि ग्राम भरवाडी की तन में भूमि खसरा नम्बर 244, 246, 247 स्थित होना स्वीकार है वंशावली स्वीकार है। यह तथ्य गलत है कि छोटूदास ने अपने जीवनकाल में अपनी भूमि का बंटवारा कर दिया हो, यह तथ्य भी गलत है कि छोटूदास ने विनोद कुमार को अपने पास रखा हो, यह तथ्य भी गलत है कि छोटूदास ने अपने कब्जे काश्त की भूमि का 1988 में संभला दी हो, यह तथ्य भी गलत है कि अलग अलग काश्त करते हो, काबिज हो व लगान अलग–'अलग करते हो, यह तथ्य भी गलत है कि राजस्व रिकार्ड भी अलग–अलग दर्ज हो गया हो, यह तथ्य भी गलत है कि अपने अपने पुख्ता मकान बना रखे हो, इस पैरा में दर्ज तमाम वाक्यात गलत होने से अस्वीकार है।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

भूमि खसरा नम्बर 336 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.76 हैक्टर कुल रकबा 3.29 हैक्टर छोटूदास का 1/2 हिस्सा होना स्वीकार है, यह तथ्य गलत है कि छोटूदास ने अपने हिस्से मे से 1.65 हैक्टर भूमि अपने दोहिते विनोद को दे दी हो बल्कि वास्तविक बात यह है कि छोटूदास ने दिनांक 8.8.90 को अपने इस 1/2 हिस्से की भूमि विनोद कुमार को 21,000/- रूपये मे विक्रय कर विकय पत्र तस्दीक करवा दिया था, इस प्रकार विनोद कुमार ने यह भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र से खरीद कर काश्त व काबिज है, जिसके आधार पर वाद जांच राजस्व रिकार्ड विनोद कुमार के चला आ रहा है, जिस पर वाद खरीद विनोद कुमार शांतिपूर्वक काबिज है, जिसको विनोद कुमार ने 21.11.2005 को प्रतिवादी नम्बर 4 को 1,85,000/- रूपये में विक्रय कर विकय पत्र तस्दीक करवा दिया, जिस पर प्रतिवादी नम्बर 4 काश्त व काबिज है वाद जांच राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 4 के नाम दर्ज चला आ रहा है जिससे वादी या अन्य का कोई लेना देना नही है। इस प्रकार यह भूमि प्रतिफल देकर विकय पत्र तस्दीक करवाये गये है, विकय पत्र सही रूप से बनाये गये है, यह तथ्य भी गलत है कि विकय के एवज मे कोई प्रतिफल प्राप्त नही किया गया था, यह तथ्य भी गलत है कि कोई रजिस्ट्री की पूरी औपचारिकता पूरी नही हुई थी, इस जमीन बाबत पूर्व में पक्षकारान के बीच एक मुकदमा उनवानी विनोद कुमार बनाम हुक्मदास आदि मुकदमा नम्बर 139/91 चला था, जिसका निर्णय दिनांक 29.11.2002 को हो चुका है, जिसमें भी माननीय न्यायालय ने मुकदमा का फैसला विनोद कुमार के पक्ष में किया था, जिसमें विनोद कुमार का दावा डिकी किया जाकर वादीगण को पावन्द किया था कि विनोद कुमार के कब्जे व काश्त की में कोई दखल अन्दाजी नही करे, छाया प्रति निर्णय व डिकी जवाब दावा के साथ पेश है। इस प्रकार इस निर्णय की आज तक कोई अपील भी नही की गई है। इस प्रकार वादी महज जवाबदेहन्दा को हैरान व परेशान करने के लिय झूठे दावे पेश कर रहा है, जो खारीज होने योग्य है। इस प्रकार उक्त भूमि जवाबदेहन्दा की पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद करे काश्त व काबिज था, जिसे जबाब देहन्दा नम्बर 3 ने विधि अनुसार प्रतिफल लेकर प्रतिवादी नम्बर 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से विकय कर दी जिस पर आज प्रतिवादी नम्बर 4 का काश्त व कब्जा है, जिससे वादी का कोई लेना देना नही है, न ही हक व हिस्सा है, ना ही कोई सम्बन्ध है, इसलिए उक्त वाद खारीज होने योग्य है।

जमीन खसरा नम्बर पुराने 244 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा स्थित होना स्वीकार है यह तथ्य गलत है कि छोटूराम ने 1988 में यह भूमि वादी को संभला दी थी, यह तथ्य भी गलत है कि इस जमीन पर काश्त व कब्जा वादी का है, यह तथ्य भी गलत है कि वादी इस जमीन पर काबिज है व लगान अदा कर रहा है। यह तथ्य भी गलत है कि इस जमीन में वादी ने अपने खर्चे से कुआ बना रखा हो इस पैरा में तमाम वाकृयात झूठे व बेबुनियाद दर्ज किये है, इस पैरा में दर्ज तमाम वाकयात गलत होने से अस्वीकार है।

वास्तविक बात यह है कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 244 जिसके नये खसरा नम्बर 340 है, जिसमें 1/3 हिस्सा वादी पदमदास का 1/3 हिस्सा हुक्मदास का 1/3 हिस्सा बजरंगदास का है तथा इसी अनुसार मोके पर काश्त व कब्जा है, छोटूदास की मृत्यू होने पर वादी ने पटवारी हल्का व सरपंच से मिलकर साज करके फर्जी तरीके से अपने अकेले के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जो गलत करवा दिया क्योकि छोटूदास के 3 लड़के थे, इस गलत नामान्तकरण की अपील बजरंगदास ने श्रीमान के न्यायालय में पेश की जो उनवानी बजरंगदास बनाम हुक्मदास अपील संख्या 1/2007 थी, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.05.2007 को कर दिया गया माननीय न्यायालय उक्त नामान्तकरण जो अकेले वादी के नाम से भरा गया था। नामान्तरकरण संख्या 194 को निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार नवलगढ को पत्रावली रिमाण्ड कर छोटूदास के वारिसानो की जांच कर निर्णय पारित करने का आदेश पारित कर दिया जो आज विचाराधीन है। इस प्रकार इस भूमि का वादी ने जो नामान्तरकरण भरवा कर गलत तरीके से अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली थी। उसे निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि में छोटूदास के वारिसान हुक्मदास का 1/3 हिस्सा पदमदास का 1/3 हिस्सा बजरंगदास का 1/3 हिस्सा इस प्रकार मौके पर वास्तविक कब्जा है इसलिए उक्त वाद खारीज होने योग्य है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

पुराने खसरा नम्बर 246 परुाने रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित होना स्वीकार है। यह तथ्य गलत है कि यह भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 बजरंगदास को 1988 में छोटूदास ने संभला दी हो, यह तथ्य भी गलत है कि इस भूमि में प्रतिवादी नम्बर 2 को हक रखा था, यह तथ्य भी गलत है कि विक्रय पत्र गलत करवाया हो, यह तथ्य भी गलत है कि विकय की रकम नही दी हो, यह तथ्य गलत है कि केवल औपचारिकता के लिए प्रतिफल लिखा हो बल्कि वास्तविक बात यह है कि इस भूमि का खातेदार काश्तकार छोटूदास ने यह भूमि प्रतिफल लेकर विधि अनुसार जवाबदेहन्दा बजरंगदास को 24.12.88 को विक्रय कर दी व रजिस्टर्ड विकय पत्र तस्दीक करवा दिया, बजंरगदास ने यह भूमि पूर्ण प्रतिफल देकर विधि अनुसार खरीद कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, जिस पर बाद खरीद बजरंग दास शांति पूर्व काश्त व काबिज है, बजरंगदास यह भूमि खरीदने के बाद जांच नामान्तकरण द्वारा यह भूमि राजस्व रिकार्ड में बजरंगदास के नाम दर्ज है। इस भूमि का खातेदार काश्तकार बजरंगदास है जिससे वादी का कोई लेना देना नही है, ना ही कोई हक व हिस्सा ना ही काश्त व कब्जा है, वादी महज जवाबदेहन्दा को हैरन व परेशान करने की नियत से यह झूंठा दावा पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है इस भूमि मे से खातेदारी काश्तकार बजरंगदास ने दिनांक 14.11.2005 को जवाब देहन्दा नम्बर 5 को 1.65 हैक्टर भूमि विक्रय कर विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया है, जिस पर जवाबदेहन्दा नम्बर 5 शांतिपूर्वक काश्त व काबिज है, बाद जांच जवाबदेहन्दा नम्बर 5 के नाम राजस्व रिकार्ड बना है, जो सही बना है जिस पर जवाबदेहन्दा नम्बर 5 शांतिपूर्वक काश्त व काबिज है।

भूमि खसरा नम्बर पुराने 247 रकबा 19 बीघा 3 बिश्वा भूमि स्थित होना स्वीकार है। यह तथ्य गलत है कि छोटूदास ने 1988 मे यह भूमि हुकमदास को संभला दी हो, यह तथ्य भी गलत है कि इस कारण से इस भूमि पर कब्जा व राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से है, यह तथ्य भी गलत है कि यह भूमि छोटूदास के हक व कब्जे व काश्त की भूमि थी, यह तथ्य भी गलत है कि इस भूमि का लगान छोटूदास अदा करता रहा, बल्कि वास्तविक बात यह है कि उक्त भूमि से छोटूदास या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना हक व हिस्सा नही था, यह भूमि हुक्मदास की स्वयं अर्जित भूमि थी, जिस पर शुरू से लेकर आज तक काश्त व कब्जा व राजस्व रिकार्ड हुक्मदास के नाम से चला आ रहा है व काश्त व कब्जा हुक्मदास का ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से लेकर आज तक का राजस्व रिकार्ड हुक्मदास के नाम से ही चला आ रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से इस भूमि पर काश्त व कब्जा हुक्मदास का ही है। इस प्रकार यह भूमि पैत्रिक नही है, यह भूमि हुक्मदास की स्वयं अर्जित सम्पति है, जिससे वादी का कोई संबंध नही है, इसलिए भी उक्त वादी खारीज होने योग्य है।

भूमि खसरा नम्बर पुराने 244 जिसके नये खसरा नम्बर 340 का रिकार्ड खातेदार वादी हो, यह तथ्य भी गलत है कि इसका उपयोग व उपभोग वादी करता हो, इस पैरा में दर्ज तथ्य गलत है, यह तथ्य भी गलत है कि छोटूराम की जीवन प्रर्यन्त सेवा वादी ने की हो, वादी भोलाभाला नेक इन्सान हो बल्कि वादी बदमाश शरावी किस्म का व्यक्ति है जो जवाबदेहन्दा की जमीन हड़पने की नियत से यह झूठे बेबुनियाद दावे पेश कर जवाबदेहन्दा को हैरान व परेशान करना चाहता है। इस जमीन से वादी अकेले का कोई संबंध हो बल्कि यह भूमि छोटूदास की भूमि थी, जिसमें 1/3 हिस्सा वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 02 का है, इसी अनुसार मोके पर काश्त व कब्जा है, यह तथ्य गलत है कि नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 7.12.2001 जो वादी के नाम तस्दीक हुआ था, वह सही व कानून के अनुसार हुआ था, उक्त भूमि छोटूदास ने वादी को संभलाई हो, नामान्तरकरण भरा तब जवाबदेहन्दा को सुनवाई का अवसर दिया हो, वादी को उसके हक से वंचित करना चाहते है, प्रतिवादी नम्बर 2 ने बेईमानी व धोखा देकर व विश्वास देकर छोटूदास से विक्रय पत्र तस्दीक करवाया हो, छोटूदास ने जीवन काल में बंटवारा कर दिया हो बल्कि वास्तविक बात यह है कि नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 7.12.2001 गलत व विधि विरूद्ध राजनैतिक कारणों से भरा गया था, जिसमें जवाब देहन्दा को कोई सुनवाई

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

अवसर नही दिया गया था, जिसे श्रीमान के न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नामान्तकरण संख्या 194 को निरस्त कर दिया गया है। इस भूमि में छोटूदास के तीनो पुत्रों का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिए तथा मौके पर भी तीनों का बराबर–बराबर काश्त व कब्जा है तथा छोटूदास ने जो विक्रय पर तस्दीक करवाये है वह पूर्ण प्रतिफल लेकर सभी औपचारिकता पूरी करके विधि अनुसार राही करवाये है, जिस पर बाद खरीद केता शांतिपूर्वक काश्त व काबिज है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार से जरिये नामान्तकरण बाद जांच नामान्तकरण क्रेता के नाम से दर्ज हो चुके है तथा मौके पर काश्त व कब्जा भी खरीददारी का है, आज तक वादी ने नामान्तकरणों को कही भी चैलेज नही किया है तथा जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा देता तब तक वादी कोई सहायता प्राप्त करेन का अधिकारी नही है, इसलिए वादी का उक्त वाद चलने योग्य नही है व खारिज होने योग्य है।

पुराने खसरा नम्बर 247 का रिकार्ड गलत बना है, यह तथ्य भी गलत है कि खसरा नम्बर 247 की भूमि छोटूदास के हक व कब्जे की हो यह तथ्य भी गलत है कि खसरा नम्बर 247 की भूमि छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 1 को पांति में दी थी, जिसके आधार से राजस्व रिकार्ड बना हो बल्कि वास्तविक बात यह है कि खसरा नम्बर 247 की भूमि से छोटूदास को कोई लेना देना नही था, ना ही इस भूमि पर कभी काश्त व कब्जा छोटूदास का रहा हो जब छोटूदस का इस जमीन से कोई संबंध ही नही था तो उसके द्वारा पांति में दिये जाने का सवाल ही पैदा नही होता है, यह भूमि हुक्मदास की स्वअर्जित भूमि है, राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागू हुआ तब से यह भूमि हुक्मदास की खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि रही है, जिसका शुरू से आज तक राजस्व रिकार्ड हुक्मदास के नाम से चला आ रहा है, जो सही चला आ रहा है। यह तथ्य भी गलत है कि खसरा नम्बर 246 छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 2 को पांति में दी थी बल्कि यह भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 छोटूदास से पूर्ण प्रतिफल देकर सभी औपचारिकता पूरी कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर काश्त व काबिज है तथा जरिये रजिस्टर्ड से खरीदने के बाद कब्जा व मोके की जांच किये बाद नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड बना है, जो सही बना है यह तथ्य गलत है कि खसरा नम्बर 244 की भूमि वादी को पांति में दी हो यह तथ्य भी गलत है कि इसका रिकार्ड वादी के नाम से चला आ रहा हो बल्कि इस जमीन में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का बराबर–बराबर हिस्सा है, इसी अनुसार कब्जा व काश्त है, इसलिए उक्त वाद खारीज होने योग्य है।

वाद पत्र की धारा 3 गलत होने से अस्वीकार है। यह तथ्य भी गलत है कि वादी से दुश्मनी रखते है, यह तथ्य भी गलत है कि वादी गरीब असहाय अनपढ व भोला व्यक्ति है। वादी नम्बर 1 लगायत 3 ने नाजायज षडयंत्र करके अपील न्यायालय मे पेश की बल्कि न्यायालय में अपील सही पेश की थी, जिस में माननीय न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 194 को निरस्त भी कर दिया है, माननीय न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनकर नामान्तकरण निरस्त किया है, इसलिये भी नामान्तकरण गलत रूप भरा जाने के कारण निरस्त हुआ है। खसरा नम्बर 244 का खातेदार वादी हो व काबिज हो व लगान अदा कर रहा हो, यह तथ्य भी गलत है कि 1988 में वादी को जमीन मिली हो व तब से लगातार काश्त व काबिज हो, यह तथ्य भी गलत है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 सहमत रहे हो यह तथ्य भी गलत है कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा करवाने का अधिकारी है, यह जमीन वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 2 की भूमि है, जिमसें तीनों का बराबर बराबर हिस्सा है, मौके पर तीनो का ही काश्त व कब्जा है। यह तथ्य भी गलत है कि यह भूमि वादी की पांति में आई है, वादी 1988 से काबिज चला आ रहा हो, वादी ने कुआ बनाया हो व विधुत कनेक्शन लिया हो, मकान बनाये हो, सही बात यह है कि तीनों का बराबर–बराबर हिस्सा है तथा तीनों अपने–अपने हिस्से पर काश्त व काबिज है। यह तथ्य गलत है कि खसरा नम्बर 244 प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का कोई संबंध नही है, यह भी गलत है कि 1988 के बाद कोई कब्जा नही हो, यह भी गलत है कि रिकार्ड इनके नाम नही रहा हो, सही बात यह है कि तीनों का बराबर–बराबर हिस्सा है, छोटूदास की मृत्यू के बाद तीनों का बराबर–बराबर कब्जा व काश्त है, तथ्य भी गलत है कि जमीन कीमती हो गई हो बल्कि सही बात यह

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

कि वादी की नियत खराब हो गई है और वह जवाबदेहन्दा के हिस्से की जमीन हड़पने के लिए यह झूंठा दावा पेश किया है, इसलिए उक्त वाद खारीज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है। यह तथ्य गलत है कि छोटूदास ने 1.65 हैक्ट भूमि प्रतिवादी नम्बर 3 को दोहिता होन के कारण दी थी, बल्कि प्रतिवादी नम्बर 3 ने अन्य भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि खरीदी थी, विक्रय पत्र पूर्ण प्रतिफल देकर तस्दीक करवाया था, जिस पर बाद खरीद प्रतिवादी नम्बर 3 काबिज है। यह तथ्य भी गलत है कि छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 1 को 4.85 हैक्टर भूमि पांति में दी थी, ये तथ्य भी गलत है कि इसका रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम गलत दर्ज हो गया बल्कि ये भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की स्वयं अर्जित भूमि है जिससे छोटूदास को कोई संबंध नही है, जब छोटूदास का हक जमीन से कोई सम्बन्ध नही है तो पांति में देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, राजस्व रिकार्ड जो बना है, वह सही बना है, इसलिए भी उक्त वाद खारीज होने योग्य है। यह तथ्य भी गलत है कि छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 02 को 3.87 हेक्टर भूमि पांति में दी थी, वे तथ्य भी गलत है कि इसकी रजिस्ट्री बिना प्रतिफल के मुगालता देकर विश्वास में लेकर बेईमानी पूर्वक करवाई गई हो बल्कि सही बात यह है कि प्रतिवादी नम्बर 2 ने छोटूदास को पूर्ण प्रतिफल देकर विधि अनुसार विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर काश्त व काबिज है। प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने छोटूदास से गैर कानूनी विक्रय पत्र तस्दीक करवाये हो बल्कि विक्रय पत्र विक्रय पत्र विधि अनुसार सही करवाये गये है तथा प्रतिवादी नम्बर 02 ने प्रतिवादी नम्बर 05 के पक्ष मे जो विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है, वह विधि अनुसार सही करवाया है जिसे करवाने का उसे पूर्ण कानूनी हक व अधिकार था तथा प्रतिवादी नम्बर 3 ने प्रतिवादी नम्बर 4 के पक्ष में जो विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है वह सही करवाया है, विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का उसे पूर्ण कानूनी हक व अधिकारिता, वादी का इस जमीन से कोई संबंध में नही है न ही कभी काश्त व कब्जा रहा है, वह महज जमीन हड़पने की नियत से दावा पेश किया है, छोटूदास ने जो विक्रय पत्र तस्दीक करवाये है वह विधि अनुसार सही करवाये है, जिन्हे तस्दीक करवाने का पूर्ण कानूनी हक व अधिकार था, वादी का उक्त जमीन से कोई लेना देना नही है इसलिए भी उक्त वाद खारिज होने योग्य है। गिरधरपुरा शाहपुरा में भूमि खसरा नम्बर 196 स्थित है जो पहले छोटूदास के नाम थी उनकी मृत्यू के बाद वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज है, इसी अनुसार तीनों का बराबर–बराबर हिस्सा है, इसी अनुसार काश्त व कब्जा है। खसरा नम्बर 244 में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 का है, इसी अनुसार काश्त व कब्जा है। इसलिये वादी न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आया है और दावे में झूटे तथ्य अंकित कर दावा पेश किया है, इसलिए वादी कोई सिद्धी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी को कोई वादकारण पैदा नही हुआ, दिनांक 14.08.2007 व दिनांक 16.08.2007 तथा अन्य किसी तिथियों मिति को कोई धमकी नही दी, इसलिए वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ, ना ही वादी ने कोई वादकारण डिसक्लोज किया है, इसलिए वादकारण के अभाव में उक्त वाद अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारीज होने योग्य है।

जवाबदेही प्रस्तुत होने पर वादी व प्रतिवादीगणों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात नम्बर 1 लगायत 5 निम्नानुसार कायम की गई :–

1. **तनकी नम्बर 1** :– आया विवादित भूमि ग्राम भरवाड़ी की सरहद में स्थित है, के खसरा नम्बर पुराने 244 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा नये खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हेक्टर का खातेदार काश्तकार वादी है एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

   भा.स.वादी

2. **तनकी नम्बर** :–2 आया वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

   भा.स.वादी

3. **तनकी नम्बर 3** :– आया विवादित भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर में वादी का 1/3 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक 1/3 हिस्सा है, उसी अनुसार कब्जा काश्त है। वादी काबिज खारिज है।

   भा.स. प्रतिवादीगण

4. **तनकी नम्बर 4** :– आया वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है अतः दावा काबिल खारिज है।

   भा.स.प्रतिवादी

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

5. **तनकी नम्बर 5** :– आया वादी ने दावा प्रस्तुत करने से पूर्व सरकारी कर्मचारी प्र.सं. 6 को दो माह का नोटिस नही दिया गया है। दावा खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादीगण

6. अनुतोष :–

साक्ष्य वादी में वादी पदमदास, रामानन्द व प्रभू के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये। साक्ष्य वादी में पी.डब्लू–1 से पी.डब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुये। साक्ष्य वादी में वादी पदमदास ने जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2018 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2023–2026 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2027 से 2030 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2031–2034 प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2044 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2044 से 2046 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2045–2048 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी समवत् 2055 से 2058 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी समवत 2049 से 2052 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी सम्वत् 2053–2056 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2053 से 2056 प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 प्रदर्श–14, नकल जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 प्रदर्श–15, नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2005 प्रदर्श–16, विधुत बिल प्रदर्श–17 लगायत 31, पासबुक प्रदर्श– 32, पासबुक जमीन प्रदर्श–33, नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2005 प्रदर्श–34, नकल जमाबंदी सम्वत् आधार वर्ष 2005 प्रदर्श–35, नकल विक्रय पत्र प्रदर्श–36, नकल विक्रय पत्र प्रदर्श–37, नकल विक्रय पत्र प्रदर्श–38, नकल विक्रय पत्र प्रदर्श–39, नकल पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर प्रदर्श–40 रसीद दिनांक 5.06.2003 प्रदर्श–41 प्रदर्शित करवाये है।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी बजरंगदास डब्ल्यू–1 व विनोद डी डब्ल्यू–2 के रूप में परिक्षित हुये जिन्होने दस्तावेजात प्रदर्श–डी1 विक्रय पत्र दिनांक 8.8.90, प्रदर्श–डी 2 विक्रय पत्र दिनांक 29.12.88, प्रदर्श डी3, विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2005 बजरंगदास जमाबंदी प्रदर्श डी 4, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श डी5, जमाबंदी 2019 से 2022 प्रदर्श डी6, जमाबंदी सम्वत 2022 से 2026 प्रदर्श डी7, जमाबदी सम्वत 2026 से 2030 प्रदर्श डी8, जमाबंदी सम्वत 2015 से 2019 प्रदर्श डी 9, नामान्तकरण प्रदर्शी डी 10, जमाबंदी तस्दीक आधार वर्ष प्रदर्श डी11, नामा. प्रदर्श डी12, जमाबंदी प्रदर्श डी13 है नामा0 प्रदर्श डी 14, जमाबंदी प्रदर्श डी 15,जमाबंदी प्रदर्श डी16, नामान्तकरण प्रदर्श डी 17, जमाबंदी प्रदर्श डी 18 प्रदर्शित करवाये है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा बहस के तथ्यो पर गहन मनन कर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. **तनकी नम्बर 1** :– आया विवादित भूमि ग्राम भरवाड़ी की सरहद में स्थित है, के खसरा नम्बर पुराने 244 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा नये खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हेक्टर का खातेदार काश्तकार वादी है एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी वाद पत्र में जमीन पुराने खसरा नम्बर 244 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा पुराने खसरा नम्बर 246 रकबा 15 बीघा 65 बिस्वा पुराने खसरा नम्बर 247 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम भरवाड़ी की सरहद में स्थित होने का उल्लेख किया है तथा वाद पत्र में उल्लेख किया है कि उदयरामदास दादूपंथी स्वामी था, जिसके वारिसान भी दादूपंथी है। छोटूदास ने शादी कर ली थी, जिसके तीन पुत्र पैदा हुये। छोटूदास ने अपने जीवनकाल मे ही अपने हक हकूक, कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन का बंटवारा अपने तीनो पुत्रों को एवं दोयता विनोद कुमार को कर दिया था। छोटूराम की एक पुत्री केशरी की मृत्यू हो गई थी, जिसके कारण उसे उसके पुत्र प्रतिवादी नम्बर 3 विनोद को छोटूदास अपने पास ले आया एवं उसे अपने पास रखा। दादूपंथ में उतराधिकार की अलग व्यवस्था है लेकिन छोटूदास ने अपने हक हकूक कब्जे, काश्त की कृषि भूमि को तीनों पुत्रों व दोयता को 1988 में संभलादी थी, उसी प्रकार अलग–अलग सभी काश्त करते है, काबिज है, लगान अदा करते आ रहे है व राजस्व रिकार्ड की उसी प्रकार अलग–अलग सभी के नाम दर्ज है तथा अपने–अपने नाम राजस्व रिकार्ड की जमीन में सभी में अपने अपने पुख्ता मकान बना रखे है, कुआ बना रखे है व विधुत कनेक्शन आदि की

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है मोके पर कोई विवाद नही है, सभी का वाकायदा भौतिक रूप से कब्जा 1988 से लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी वाधा के चला आ रहा है तथा लगान भी सभी स्वयं 1988 से अदा कर रहे है। इस प्रकार मौजूदा राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा सही है, रिकार्ड भी सभी के नाम से ही है।

जमीन खसरा नम्बर नये 336/1.72, 338/0.81, 339/0.76 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.29 हैक्टर में छोटूदास का आधा हिस्सा था, जिसके अनुसार छोटूदास ने 1.65 हैक्टर जमीन अपने दोहिते प्रतिवादी नम्बर 3 विनोद को दे दी थी, जिसमें वादी व प्रतिवदी नम्बर 1 व 2 को कोई ऐतराज भी नही रहा है। प्रतिवादी नम्बर 3 चालाक व्यक्ति है, जिसने छोटूदास द्वारा उसे दी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाली, जिसमें भी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को कोई ऐतराज नही रहा है क्योकि जव जमीन दे दी तो उसके नाम रिकार्ड करवाने हेतु विक्रय पत्र करवाया था, जबकि विक्रय के एवज में कोई प्रतिफल प्राप्त नही किया था, प्रतिफल बाबत रजिस्ट्री में औपचारिकता पूरी करने के लिये गलत ही लिखा गया था, अव प्रतिवादी नम्बर 3 की नाजायज हरकतों से पता चलता है कि प्रतिवादी नम्बर 3 के शुरू से ही बेईमानी थी, जबकि वादी के कोई बेईमानी नही थी, वह तो अपने भानजे प्रतिवादी नम्बर 3 के साथ सहानुभूति रखता था। इसी प्रकार जमीन पुराने खसरा नम्बर 244 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा वादी को छोटूराम ने 1988 में संभला दी थी तब से ही वादी इस जमीन को काश्त कर रहा है, काबिज है, लगान आद करता आ रहा है तथा इस जमीन में वादी ने अपने खर्चे से कुआ बनाया है, जिसमें वादी ने अपने नाम से विधुत कनेक्शन भी ले रखा है, जिससे वादी अपने हक हकूक, कब्जे काश्त व खातेदारी तथा लगानी की जमीन की सिंचाई करता है। वादी ने इस जमीन मे पुख्ता मकान अपने खर्चे से बनाये है, जिसमें वादी अपने बाल बच्चों व मवेशियों समेत रहता हे। वादी के हक, कब्जे, खातेदारी की जमीन के अउतर तरफ सड़क बन गई है, जिसके कारण जमीन कीमती हो गई, इसलिये प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 नाजायज बदमाशी पर उतारू हो रहे है। वादी के हक की जमीन को हड़पना चाहते है व कानूनन व तथ्यों के विपरीत जाकर गैर कानूनी रूप से वादी की जमीन पर कब्जा करना चाहते है। वादी ने अपने हक की जमीन की सीमा पर मिट्टी का डोला 1988 मे ही लगा लिया था, सीमा में कुंचे 1988 में लगाये थे, जो मौजूद है। इस प्रकार वादी ने 1988 से लेकर आज दिन तक लगातार अपने हक के खेत खसरा नम्बर पुराने 244 जिसके नये खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर ग्राम भरवाडी का काफी खर्चा लगाकर सुधार करके जमीन को उपजाऊ बनाई है।

जमीन खसरा नम्बर पुराने 246 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 2 का हक रखा था, लेकिन चूंकि प्रतिवादी नम्बर 2 बेईमानी रखता था, इसलिये अपने हक में लाई जमीन का विक्रय पत्र तथाकथित रूप से रिकार्ड अपने नाम करवाने हेतु छोटूदास से करवाया था, जिसमें विक्रय की रकम नही दी गई थी, केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए प्रतिफल देना गलत लिखा था, चूंकि रिकार्ड अपने नाम करने का वहाना वनाकर प्रतिवादी नम्बर 2 ने तथाकथित विक्रय–पत्र करवाया था, जिसमें आपसी विश्वास के कारण एतराज नही किया था, जिससे नये खसरा नम्बर 334 व अन्य बने है।

जमीन पुराने खसरा नम्बर 247 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 1 हुक्मदास को छोटूदास ने 1988 में संभला दी थी, जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा है व राजस्व रिकार्ड उसके नाम है। यह जमीन छोटूदास पुत्र चन्द्रदास चेला उदयरामदास के हक, कब्जे काश्त की थी, जिस पर चन्द्रदास की मृत्यू के बाद छोटूदास को हक हकूक, कब्जा काश्त व खातेदारी रही है जिसका लगान भी छोटूदास ही अदा करता रहा है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया था, जिसकों आपसी विश्वास के कारण यथावत रहने दिया था तथा 1988 में यह जमीन छोटूदास ने प्रतिवादी नम्बर 1 को संभला दी थी, जिसके नये खसरा नम्बर 335 बने है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजो के अवलोकन से मिलान क्षैत्रफल के आधार पर पुराने से नये खसरान नम्बर बनना साबित है। जमांबंदी सम्वत् 2015 से 2018 जो प्रदर्श–1 है, के अवलोकन से भूमि पुराने खसरा नम्बर 246 व 247 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की पैत्रिक सम्पति होना सावित है। भूमि नये खसरा नम्बर 335 रकबा 4.85 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 हुक्माराम के नाम से तथा खसरा नम्बर 332 रकबा 0.09 खसरा नम्बर 334 रकबा 3.63 हैक्टर खसरा नम्बर 445/333 रकबा 0.23 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर 2 बजरंगदास के नाम से दर्ज रिकार्ड है, जो छोटुदास द्वारा बजरंगदास व हुक्मदारस के नाम दर्ज करवाई जाना रिकार्ड से साबित होता है। प्रदर्श–9 उक्त तथ्य को प्रमाणित करता है। कानूनन छोटूदास के पुत्र पदमादास के नाम से भूमि दर्ज नही हुई है। पैत्रिक सम्पति में सभी उतराधिकारियों का बराबर–बराबर हक अधिकार होना विधिक रूपसे आवश्यक है। प्रतिवादी हुक्मदास व बजरंगदास के नाम भूमि दर्ज होना वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विवक्षित रूप से बंट्वारा होने के तथ्यों को प्रमाणित करते है। वादी के नाम खातेदारी दर्ज नही है। वादी वाद–पत्र के माध्यम से यही प्लीड करके आया कि भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर उसके बंटवारे में आई है तथा बंटवारे के अनुसार उक्त सम्पति पर वादी ही काबिज है। वादी ने कब्जे होने के समर्थन में विधुत विभाग द्वारा जारी विधुत उपभोग विपत्रों को बतौर साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है जहां तक छोटूदास द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र करवाने का प्रश्न है वह छोटूदास द्वारा बंटवारे के अनुसार अपने पुत्र बजरंगदास के नाम से करवाने का परिचायक है। अपीलीय न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर वादी के नाम करने पर सहमति जाहिर की है, जिसका उल्लेख निर्णय में भी है। कानूनन पैत्रिक सम्पति में सभी उतराधिकारियों को हिस्सा मिलना आवश्यक है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व वाद–पत्र में किये गये कथन प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की सहमति उक्त तथ्य को प्रमाणित करती है कि पक्षकारान में बंटवारा हो चुका है और बंटवारे के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर वादी के हिस्से में आई है। तथा वादी ही उक्त भूमि पर काबिज है जो साक्ष्य से अखण्डनीय रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलीय न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत नही किया है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में बतौर साक्षी उपस्थित नही हुआ है न ही अपनी दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा अपने जवाब में उठाये गये तथ्यों को प्रमाणित किया है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार नोटिस जारी किया गया तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है न ही बतौर साक्षी जिरह हेतु उपस्थित हुआ है। आदेशिका दिनांक 24.12.2019 के अनुसार सीधी ही बहस करने हेतु निवेदन किया है। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पक्ष को अपने जावाब में उठाये गये तथ्यों को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के द्वारा साबित करना पड़ता है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्ण अवसर देने के पश्चात् भी अपने उठाये गये तथ्यो पर साक्ष्य प्रस्तुत नही की है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 ने भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर भूमि वादी की होना व वादी को खातेदार घोषित करने के संबंध में राजीनामा अपीलीय नयायलय में प्रसतुत किया है जिसका उल्लेख निर्णय दिनांक 13.06.2016 में स्पष्ट रूप से दर्ज है। फलस्वरूप उक्त तनकी को वादी ने पूर्णतया साबित किया है। उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

2. **तनकी नम्बर** :–2 आया वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

भार.स.वादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नम्बर 1 में पूर्ण रूप से विवेचन किया गया है। चूंकि तनकी सख्यां 1 को वादी ने पूर्णतया साबित किया है। भूमि खसरा नम्बर 340 रीकबा 3.74 हैक्टर का खातेदार वादी हैं, जिसमे प्रतिवादीगण का विभाजन के अनुसार कोई हक अधिकार नही है। इसलिए उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष किया जाता है।

3. **तनकी नम्बर 3** :– आया विवादित भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर में वादी का 1/3 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का प्रत्येक 1/3 हिस्सा है, उसी अनुसार कब्जा काश्त है। वादी काबिज खारिज है।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

भा.स.प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकी के बाबत तनकी संख्या 1 में पूर्णतया विवेचन किया जा चुका है। भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर का वादी खातेदार काश्तकार है। इसलिए उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

4. **तनकी नम्बर 4** :– आया वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है अतः दावा काबिल खारिज है।

भा.स.प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वाद कारण वाद पत्र में किये गये अभिवचनों के आधार पर पैदा होता है। वादी ने वाद पत्र में वाद कारण के संयुक्त चित्रों को प्रदर्शित करने वाले तात्विक तथ्य दर्ज किये है। वाद–पत्र की मद संख्या 9 में वाद कारण पैदा होने से तथ्यों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है। जिनके आधार पर वादी को वाद कारण पैदा हुआ है। फलस्वरूप उक्त तनकी निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

5. **तनकी नम्बर 5** :– आया वादी ने दावा प्रस्तुत करने से पूर्व सरकारी कर्मचारी प्र.सं. 6 को दो माह का नोटिस नही दिया गया है। दावा खारिज होने योग्य है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 6 को भूमि धारक होने के आधार पर पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध वादी की सरकारी कर्मचारी होने के आधार पर कोई रिलीफ नही है। बल्कि घोषणा के वाद में प्रततिवादी संख्या 6 आवश्यक पक्षकार है, जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए दायित्वधीन है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 6 को वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है, जिस पर सिविल प्रकिया संहिता की धारा 79–80 लागू नही होती है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम भरवाडी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि के बाबत वादी के काश्त करने, काबिज रहने, उपयोग–उपभोग आदि में प्रतिवादीगण बाधा नही पहुंचाए। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर) (भा.प्र.से.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) मुकाम बईजलास नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा संः– 215/2016 (पदमदास – बनाम – हुकमदास वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर. ए. एस.),सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.03.2021 निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम भरवाडी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 340 रकबा 3.74 हैक्टर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि के बाबत वादी के काश्त करने, काबिज रहने, उपयोग–उपभोग आदि में प्रतिवादीगण बाधा नही पहुंचाए। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15 माह 03 सन 2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	04.00	स्टाम्प वकालतनामा	4.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	10.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	18.00		4.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested